न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13**/2017**

अनवान

श्री भैरूलाल ब0 बिलायत माता घीसा पत्नि गोकल कुमावत निवासी हाल सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा .... वादी

बनाम

राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1656 रकबा 02–07 बीघा भूमि खेमा ब0बिलायत माता घीसी पत्नि गोकल कुमावत सा0 देह खातेदार के नाम से ही राजस्व रेकार्ड में चली आ रही है। पूर्व में देवकरण पिता जैराम के नाम वादगस्त आराजीयात दर्ज थी जिसमे देवकरण के दो पुत्रीयां घीसी व सोहनी थी जिसमें सोहनी के कोई सन्तान नही होने से घीसी के पुत्र भैरूलाल कुमावत को गोद रखा था सोहनी के फौत होने उपरान्त खुले नामान्तकरण में भैरूलाल के स्थान पर खेमा ब0 बिलायत माता घीसी के नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश दर्ज कर दिया गया है। अतः वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में भैरूलाल ब0 बिलायत माता घीसा पत्नि गोकल कुमावत सा0 देह खातेदार के बजाय खेमा ब0 बिलायत माता घीसी पत्नि गोकल कुमावत सा0 देह खातेदार को राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बल्दरखा में प्राप्त किया जाकर पंजीबद्ध किया कर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित नही। केम्प के दौरान ही दिनांक 08.05.2017 को वादी भैरूलाल कुमावत, माता घीसी पत्नि गोकल कुमावत के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत राजीनामा प्रपत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी का नाम भैरूलाल ब0 बिलायत माता घीसा पत्नि गोकल कुमावत है। लिहाजा वादी का वाद पत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 1656 रकबा 02–07 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम खेमा ब0 बिलायत माता घीसी पत्नि गोकल कुमावत के बजाय भैरूलाल ब0 बिलायत माता घीसा पत्नि गोकल कुमावत सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।